21/5/18

आज यह प्रार्थना राजस्व लोक अपील अधिकारी न्यायालय आपके द्वारा कोर्ट धौलपुर में पेश हुई। पत्रावली हाजिर समाप्त की गयी। पत्रावली बहस सुनने पर सहमत है। मौके पर ही कोर्ट के पत्रावली 1942 के कुर्रेमिसल प्रस्तुत करवाये हैं तैयार कराये गये। अवलोकन किया गया। अतः इस अवध वादी मुतालिब कुर्रेमिसल प्रस्तुत डिक्री किया जाता है।

अतः आदेश है कि अवध वादी मुतालिब कुर्रेमिसल इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि वादिगण श्रवणी पत्नी श्री सिद्धक निवासी पाई पाव ह० लालपुर के हिस्से में वादिगण खसरा नं० 80/1 पश्चिम डिमा 2 रकबा 08 बिस्वा किस्म बारानी दोयम लगान 0.48 रु० रहेगी तथा मुन्नी पत्नी मोहर सिंह हि० 8/41 श्रीमती पत्नी धनीराम हि० 8/41, बीधो देवी व मोहन सिंह, रामहेत, पप्पू पुत्रान, मुन्नी पुत्री पि० रामसिंह हि० बराः 7/41, बाबूलाल पुत्र कंगालिया हि० 8/41, प्रेमवती पुत्री कंगालिया हि० 2/41, रामदेई देवी व जगदीश, रनजीत वाशिन्दान सुरमीर नावा० पुत्रान रामरती पुत्री पि० रामफेरा हि० बराः 8/41 मौजा पाव मु० लालपुर नावा० व सरपरस्ती मार रनुप मिश्रदेई के खेर/हिस्से में संयुक्त रूप से आ० ख० नं० 80/2 पूर्व डिमा 2 रकबा 07 बिस्वा किस्म बा० दो लगान 0.42 रु०, एवं 82 रकबा 01 बीघा 014 बिस्वा किस्म बा० दो लगान 2.04 रु० कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा स्थित ग्राम टोकनपुर रहेगी। उक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	हुक्म में ज
	राजस्व रिकार्ड में वादिगण एवं विपक्षीगण/ पक्षकारान के पृथक पृथक खाते खोले जाने के आदेश दिये गये है। पत्रावली पत्रावली कोर्ट मु मुद्देवार बाद तफसील आखिर दस्तखत हुक्म सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)	

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018